प्रेस नोट

दिनांक 05.11.2026

जनपद मऊ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, 06 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 05.11.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण-

1.थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1.हरिश्चन्द्र पुत्र सहती, 2.प्रकाश पुत्र मग्गन, 3. शिवचन्द पुत्र सहती निवासीगण ग्राम बहादुरपुर, थाना दोहरीघाट, मऊ, 4.संजय पुत्र प्रभु गुप्ता, 5.शेषनाथ पुत्र त्रिभुवन, 6.विजयी पुत्र प्रभु गुप्ता निवासीगण ग्राम- पुरमोती, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ।
अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

साइबर क्राइम थाना मऊ की प्रभावी कार्रवाई से साइबर ठगी के पीड़ित को ₹108090/- की धनराशि वापस कराई गई

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर ठगी के पीड़ितों की धनराशि वापस कराए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना, जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना मऊ द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के पीड़ित की ₹1,08,090 (एक लाख आठ हजार नब्बे रुपये) की धनराशि उसके बैंक खाते में वापस कराई गई।

घटना का विवरण

NCRP शिकायत संख्या 23103260043569 से संबंधित प्रकरण में पीड़ित श्री रामजपीत पाण्डेय, पुत्र स्वर्गीय जनार्दन पाण्डेय, निवासी निजामुद्दीनपुर, थाना कोतवाली, जनपद मऊ के मोबाइल फोन की चोरी कर साइबर धोखाधड़ी की गई थी। उक्त घटना में पीड़ित की कुल ₹149399 (एक लाख उनचास हजार तीन सौ निन्यानवे रुपये) की धनराशि साइबर ठगी के माध्यम से निकाल ली गई थी।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम थाना, जनपद मऊ द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। पुलिस टीम के अथक प्रयासों से ठगी गई धनराशि में से ₹1,08,090 (एक लाख आठ हजार नब्बे रुपये) पीड़ित के बैंक खाते में सफलतापूर्वक वापस कराए गए। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा साइबर क्राइम थाना मऊ की कार्रवाई के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

जनपद मऊ पुलिस आमजन से अपील करता है कि— किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई APK फाइल को डाउनलोड अथवा इंस्टॉल न करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें तथा अपनी बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें। साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

आपरेशन कान्विक्शन के तहत 01 अभियुक्त को 03 वर्ष की कारावास की सजा व 7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-05.11.2026 को चिन्हित मु0अ0सं0- 393/2022 धारा- 323, 354, 504 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से सम्बन्धित दोषी अभियुक्त विश्वप्रताप उर्फ विशु पुत्र लाल निवासी ग्राम राजापुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश एएसजे / पाक्सो प्रथम कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा 03 वर्ष कारावास की सजा व 7,500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।